ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की पूर्ति हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका

मुकेश कुमार
व्याख्याता अर्थशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज.)

प्रस्तावना - कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वहीं ग्रामीण जनता के आजीविका का मुख्य स्त्रोत भी है। देश के 60% से अधिक लोग जीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास तीव्र हुआ है व विविधीकरण में वृद्धि हुई है। आज ग्रामीण मजदूर गैर कृषि कार्य की ओर पलायन कर रहे हैं परन्तु ग्रामीण स्वनियोजित लोगों की कृषि पर निर्भरता ज्यों की त्यों है किन्तु उनके खेतों का औसत आकार जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ घटता जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। किसानों को समृद्ध बनाने हेतु केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जो वित्तीय समावेशन के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अभी तक किसान खेत की जुताई, बुवाई से लेकर खाद, बीज की खरीद हेतु गांव के साहूकारों से ऋण लेते थे और उन्हें ऋण से कई गुना ब्याज चुकाना पड़ता था। कई बार कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते है । वे खेती से प्राप्त आमदनी को ब्याज चुकाने में खर्च कर देते थे और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था।

इस समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की ताकि किसान स्वावलंबी बने । वस्तुतः कृषकों को निरन्तर उनकी फसलीय आवश्यकताओं के अनुसार बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की एक सरल सहज एवं उपयोगी पद्धति विकसित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व नाबार्ड द्वारा निरन्तर सर्वेक्षण व शोधकार्य के उपरांत दिसम्बर 1997 को श्री आर. बी. गुप्ता के नेतृत्व में गठित कमेटी का गठन किया जिसने चक्रीय कृषि साख प्रदान करने की अनेक अनुशंसाएं की और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे अभिनव विकल्प का उद्भव हुआ जिसे किसानों की खुशहाली के लिए प्रभावी चक्रीय साख के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अतः कृषकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उनकी फसलीय आवश्यकताओं के लिए वरदान है। वहीं स्वरोजगार की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। **कृषि साख -** भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने कई योजना लागू की है। जिससे किसान कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु समय-समय पर उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सके। किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु समय-समय पर उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। किसानों को कृषि क्षेत्र हेतु दिये जाने वाले संस्थावार ऋणों में सहकारी संस्थाओं का प्रतिशत 2009-10 में 16.30% था जो वर्ष 2012-13 में 26.99% हो गया ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को 2009-10 में 9.13 व 2012-13 में बढ़कर 13.40% हो गया और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2009-10 में 74.33% था जो वर्ष 2012-13 में 59.61% हो गया।

किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन पद्धति का प्रगति - किसान क्रेडिट कार्ड की पहल भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड ने संयुक्त रूप से की थी, और इसे वर्ष 1998-99 में लागू किया गया। किसान कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है। जिससे वे कृषि के लिए उपयोगी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना द्वारा किसान आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह योजना सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा

कार्यान्वित की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों को समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रभावी योजना है। नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग प्रणाली द्वारा 11.39 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराएं और 5,72,617 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। नाबार्ड द्वारा एक नई योजना किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाई गई है जिससे उन्हें ए. टी. एम. / डेबिट कार्ड जुलाई 2012 से उपलब्ध कराए गए। विभिन्न बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रियागत वृद्धि देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन मुख्यत: सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों व अन्य बैंकों द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं को संचालित करने वाले प्रमुख बैंक किसान क्रेडिट कार्ड कई नामों से जारी कर रहे हैं। जैसे - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में किसान क्रेडिट कार्ड, देना बैंक- ए. बी. किसान ग्रीन कार्ड , पंजाब नेशनल बैंक- पी. एन. बी. कृषि कार्ड , विजया बैंक- विजया किसान क्रेडिट कार्ड , को-ऑपरेटिव बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान क्रेडिट कार्ड आदि । केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नाबार्ड को 2.5 से 4.5 प्रतिशत वार्षिक दर से सहायता प्रदान की जाती है। समय पर ऋण अदा करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 4% पर यह ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2009-10 में किसानों को प्रत्येक आहरण की वापसी के लिए अधिकतम 12 माह की अवधि तय होती है। तीन वर्ष तक ऋण की चक्रीय सुविधा रहती है। साथ ही वार्षिक ऋण की सुनिश्चित वापसी पर बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुरूप ऋण सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ऋण अवधि 5 वर्ष की जा सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ -

1. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लोगों को स्वरोजगार की प्राप्ति - किसान क्रेडिट कार्ड ने स्वरोजगार की दिशा में भी अहम भूमिका निभाई है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान खेती के लिए सस्तीदर पर ऋण प्राप्त करता है। साथ ही खेती की उपज बेचकर बैंक का पैसा अदा करने के साथ ही अपनी पूंजी भी तैयार करता है और अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती ही नहीं जीविकोपार्जन हेतु दूसरे विकल्प भी मुहैया करा रहा है। जिससे किसानों को खेती के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है व खेती कर मुनाफा कमाते हैं और बैंक का कर्ज चुका देते हैं। खाद, बीज, पानी की सुविधा व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आसानी से प्रयोग कर फसल को खराब होने से बचा लेते हैं जो कि पहले पैसे के अभाव में पूरा नहीं कर पाते हैं। अतः फसल को बर्बाद होने से बचाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की अहम भूमिका है।

2. किसानों को सस्ती दर पर ऋण सुविधा - हमेशा से ही सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। इसी कारण मौजूदा बजट में किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण की घोषणा की गई। वर्तमान में खेतिहर किसानों क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दिया जाने वाले ऋण पर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज लेने का फैसला ऐतिहासिक है।

3. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज उपलब्ध कराना - व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रदान किया जाता है। यह योजना देश के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की मृत्यु व स्थायी अक्षमता को शामिल किया। कार्ड धारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिजन को 30.000 रुपये स्थायी पूर्व अक्षमता की स्थिति में भी 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। शरीर का कोई अंग या एक आंख खराब होने पर भी 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना में कार्डधारक के लिए लागू 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम में से 10 रुपये बैंक व 5 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड धारक को देना होगा।

4. आर्थिक स्थिति में सुधार - प्रायः सभी ग्रामीण कृषकों का मानना है कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान तत्काल फसलीय जरूरत के लिए मिल जाता है। जिससे अच्छा उत्पादन व उसका उचित मूल्य प्राप्त होता है। फलतः अन्य पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। कृषक इस कार्ड का सही प्रयोग कर ऋण हेतु किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। बल्कि उन्हें फसल उत्पादन के साथ बचत भी प्राप्त होती है।

5. साहूकारों व महाजनों के जाल से मुक्ति - बैंकों पर आधारित यह योजना किसानों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इसका फायदा लघु द सीमान्त किसानों के साथ बड़े किसानों को भी मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ कृषि विकास को

गति मिली है बल्कि सामाजिक समस्या (किसान, साहूकारों के जाल में फंसने से बच रहा है) का खात्मा हो रहा है। चूंकि पैसों के अभाव में किसान गाँवों में रहने वाले साहूकार पर आश्रित रहता था। साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करते थे। किसानो को उपज का बहुत बड़ा भाग कर्ज के रूप में चला जाता था और कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या हेतु विवश हो जाते थे परन्तु अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का खाद, बीज, खरीदने सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करते हैं। इसकी अदायगी की समस्या नहीं रहती है।

6. अन्य लाभ - किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों की दूसरे पर आश्रिता खत्म हो चुकी है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और किसान ऋण के बोझ से मुक्त हुए हैं। फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान है। किसानों को सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद, बीज खरीद सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को कम ब्याज दर पर बैंको से ऋण प्राप्त कराते हैं। जो भूमि के आधार पर क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा तय की जाती है। डेयरी, मुर्गी पालन हेतु भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही कृषि संबंधी समस्त कार्य के संचालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

निष्कर्ष -उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को पूर्ण सिंचित भूमि का आंकलन करके वास्तविक मूल्य निर्धारित कर बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर भूमि के मूल्य के आधार पर कृषकों को फसल ऋण प्रदान कर रही है। जिसका लाभ देश के सभी किसानों को समान रूप से प्राप्त हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन एवं आवश्यकतानुसार उचित ऋण सीमा निर्धारण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। सहकारी बैंकों द्वारा जारी ऋण राशि की सीमा पर्याप्त नहीं है। फिर भी इन बैंकों द्वारा कार्ड निर्गमन के संख्यात्मक लक्ष्य को लगभग पूर्ण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर कृषकों को इस योजना से 71.07 प्रतिशत संतुष्टि प्राप्त हुई है। कृषकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से वे महाजनों व साहूकार के ऋण जाल से मुक्ति मिली है। अब उन्हें फसलीय ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। बैंकों से ऋण लेकर नियमित रूप से किस्त का भुगतान कर खेती कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है।

सुझाव- किसान क्रेडिट कार्ड जहाँ किसानों के लिए रामबाण औषधीय की तरह कार्यरत है। वहीं इस योजना को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर 4 प्रतिशत की जाये तथा ऋण अवधि (12 माह) को बढ़ाया जाना अपेक्षित है। फसल बीमा व व्यक्तिगत बीमा की राशि को समय-समय पर सूचकांक वृद्धि के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। फसलीय ऋण के साथ कृषि आधारित कुटीर उद्योगों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाय। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता ऋण वापसी तथा उत्पादनिक कार्यों हेतु व्यय न करने की प्रवृत्ति बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध जागरुकता कार्यक्रम संबंधित बैंक द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत साख असंस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त की जाती है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंकों को अपनी नई शाखाएं 25% गैर बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाए ताकि कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. ग्रामीण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था - श्री सुबह सिंह यादव |
2. कृषि साख की अर्थव्यवस्था - अरुण कुमार बंदोपाध्याय ।
3. भारत बैंकिंग प्रगति - रिजर्व बैंक बुलेटिन मुंबई |
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13
5. कृषि मंत्रालय की जारी रिपोर्ट ।
6. www.nabard.org
7. कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2013
8. कुरुक्षेत्र अगस्त 2015